राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1210/2012/झुन्झुनूँ

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत–झुन्झुनूँ ....अपीलार्थी

बनाम

मै0 राजस्थान स्टोन क्रेशर
झुन्झुनूँ .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :28.04.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 327/आरवैट/झुन्झुनूँ/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य वर्ष 2008–09 के बिक्री विवरण पत्रों (रिटर्न) में गिट्टी व बजरी की बिक्री दर्शायी गयी है, जिसको सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, झुन्झुनूँ (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) ने अस्वीकार करते हुए उसे स्टोन डस्ट की बिक्री मानते हुए रू. 6/– प्रति टन के स्थान पर 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण करते हुए कुल रू. 47,429/–की मांग सृजित की है। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने बजरी/स्टोन डस्ट को सामान्य बोलचाल की भाषा में किस नाम से बिक्री की जाती है एवं उसका उपभोक्ताओं द्वारा किस रूप में प्रयोग किया जाता है उस आधार पर कर देयता अवधारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रतिपेषित किये जाने से असन्तुष्ट होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि आलोच्य वर्ष में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा गिट्टी व बजरी की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया है किन्तु उसने 1997 टन डस्ट स्टोन की बिक्री को बजरी की बिक्री

दर्शाते हुए 12.5 प्रतिशत की बजाय रू. 6/–प्रतिशत प्रति टन की दर से कर अदा किया है, जो अनुचित है। उनका कथन है कि इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा आलोच्य वर्ष में बिक्रीत स्टोन डस्ट की बिक्री मानते हुए 6/–रू.प्रति टन के स्थान पर 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया है,जो उचित है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलीय अधिकारी ने सशक्त अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने के स्थान पर उसे प्रतिप्रेषित किया है, जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर विभाग की अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2012 का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के अनुसार क्रेशर मशीन की मदद से बडे पत्थर को तोडा जाकर छोट टुकडे किए जाते है, जिनसे गिट्टी एवं बजरी बनती है जबकि विभाग इसे स्टोन डस्ट मानता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए बजरी/स्टोन डस्ट को सामान्य बोलचाल की भाषा में किस नाम से बिक्री की जाती है एवं उसका उपभोक्ताओं द्वारा किस रूप में प्रयोग किया जाता है उस आधार पर कर देयता अवधारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें कोई अविधिकता नजर नहीं आती है।

6. इसके अतिरिक्त सशक्त अधिकारी द्वारा करारोपण करने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है,जिससे नैसर्गिक सिद्धान्तों की अवहेलना होने के कारण सशक्त अधिकारी के आदेश को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त किया है, जो उचित है।

7. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के पश्चात अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने के पश्चात कर बोर्ड स्तर पर कोई कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं हैं । अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि करते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(**खेमराज**)
अध्यक्ष